बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक–प्र०/नॉ०बि०पा०डि०कं०लि०–07/2019 /पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः– **नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के क्षेत्राधीन मुजफ्फरपुर शहर (पूर्व वितरण फ्रेन्चाईजी क्षेत्र) में इंटिग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम (आई0पी0डी0एस0) के अन्तर्गत वितरण की संरचना के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 179.43 करोड़ (एक सौ उनासी करोड़ तैंतालीस लाख) रूपये की अनुमोदित योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल राशि 179.43 करोड़ रूपये का 60 प्रतिशत 107.658 करोड़ (एक सौ सात करोड़ पैसठ लाख अस्सी हजार) रू0 भारत सरकार द्वारा अनुदान, 10 प्रतिशत 17.943 करोड़ (सत्रह करोड़ चौरानवे लाख तीस हजार) रू0 राज्य सरकार द्वारा हिस्सा पूंजी के रूप में एवं 30 प्रतिशत 53.829 करोड़ (तिरेपन करोड़ बयासी लाख नब्बे हजार) रू0 वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण स्वरूप उपलब्ध कराने की सैद्धांतिक स्वीकृति एवं गारंटी। पावर सब–स्टेशन के निर्माण हेतु आवश्यक भूखण्ड के क्रय में होने वाले वास्तविक खर्च की शत–प्रतिशत प्रतिपूर्ति राज्य योजना से करने की स्वीकृति तथा इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में 5.00 करोड़ (पाँच करोड) रूपये नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध मे।**

<u>आदेश–स्वीकृत।</u>

नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के क्षेत्राधीन इंटिग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम (आई0पी0डी0एस0) के अन्तर्गत 74 शहरी क्षेत्रों में से 2 वितरण फ्रेंचाईजी क्षेत्र (मुजफ्फरपुर एवं काँटी शहर) छोड़ कर शेष 72 शहरी क्षेत्रों में वितरण एवं उप–संचरण संरचना के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, मीटरिंग, सरकारी भवनों में सोलर पैनल का अधिष्ठापन एवं ए0टी0 एण्ड सी0 हानि में उत्तरोतर कमी करने हेतु नोडल एजेन्सी पी0एफ0सी0 द्वारा 1058.00 करोड़ रूपये की स्वीकृति तथा योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल राशि 1058 करोड़ रूपये का 60 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा नियुक्त नोडल एजेन्सी पी0एफ0सी0 के माध्यम से अनुदान, 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा (105.80 करोड़ रूपये) हिस्सा पूंजी के रूप में एवं 30 प्रतिशत (317.40 करोड़ रूपये) वित्तीय संस्थानों द्वारा त्रृण स्वरूप उपलब्ध कराने की सैद्धांतिक स्वीकृति तथा नये शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण हेतु आवश्यक भू–खण्ड के क्रय में आने वाले वास्तविक व्यय की शत् प्रतिशत प्रतिपूर्ति राज्य सरकार से करने की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–2460 दिनांक–24.08.2015 द्वारा प्रदान की गई है।

2. पूर्व में वितरण फ्रेंचाईजी क्षेत्र होने के कारण मुजफ्फरपुर एवं कांटी शहर आई0पी0डी0एस0 योजना के अंग नहीं थे। वर्त्तमान में यहाँ वितरण फ्रेंचाईजी का एकरारनामा रद्द किया जा चुका है। आई0पी0डी0एस0 योजना के कार्यान्वयन हेतु मुजफ्फरपुर शहर के लिए 242.65 करोड़ रूपये का डी0पी0आर0 पी0एफ0सी0 को समर्पित किया गया। उपलब्ध

27

राशि के अनुरूप सिर्फ मुजफ्फरपुर शहर का 179.43 करोड़ रूपये की संशोधित डी0पी0आर0 की स्वीकृति पावर फाईनेंस कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त हुई है। इस योजना की स्वीकृति हेतु नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 द्वारा अनुरोध किया गया है।

3. उक्त आलोक में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के क्षेत्राधीन मुजफ्फरपुर शहर (पूर्व वितरण फ्रेन्चाईजी क्षेत्र) में इंटिग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम (आई0पी0डी0एस0) के अन्तर्गत वितरण की संरचना के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 179.43 करोड़ (एक सौ उनासी करोड़ तैंतालीस लाख) रूपये की अनुमोदित योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल राशि 179.43 करोड़ रूपये का 60 प्रतिशत 107.658 करोड़ (एक सौ सात करोड़ पैसठ लाख अस्सी हजार) रू0 भारत सरकार द्वारा अनुदान, 10 प्रतिशत 17.943 करोड़ (सत्रह करोड़ चौरानवे लाख तीस हजार) रू0 राज्य सरकार द्वारा हिस्सा पूंजी के रूप में एवं 30 प्रतिशत 53.829 करोड़ (तिरेपन करोड़ बयासी लाख नब्बे हजार) रू0 वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण स्वरूप उपलब्ध कराने की सैद्धांतिक स्वीकृति एवं गारंटी। पावर सब–स्टेशन के निर्माण हेतु आवश्यक भूखण्ड के क्रय में होने वाले वास्तविक खर्च की शत–प्रतिशत प्रतिपूर्ति राज्य योजना से करने की स्वीकृति तथा इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में 5.00 करोड़ (पाँच करोड) रूपये नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उक्त राशि माँग सं0–10, मुख्य शीर्ष 4801–बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय–उप मुख्य शीर्ष–05 संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उपशीर्ष–0103–नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 की परियोजना, विपत्र कोड–10–4801057890103 एवं उपशीर्ष–0107 नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 की परियोजना, विपत्र कोड–10–4801051900107 विषय शीर्ष 5401–निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं अगले वित्तीय वर्ष में उपबंध राशि से विकलनीय होगा।

5. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448– स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–120–अन्य निधियाँ, उपशीर्ष–0048– नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0, व्यय शीर्ष–L8448001200048 एवं प्राप्तियाँ–K–8448001200048 में जमा की जाएगी।

6. नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी० एल० खाता संख्या PLA276 से की जाएगी।

7. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758 दिनांक–31.05.2017 के आलोक में परियोजना के स्वीकृति प्रदान की जाती है।

8. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–7355 दिनांक–05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या–प्र०/नॉ०बि०पा०डि०कं०लि०–7/2019 के पृष्ठ संख्या–9/टि0 पर दिनांक–18.02.2019 को प्राप्त है।

(21)

10. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–प्र०/नॉ०बि०पा०डि०कं०लि०–07/2019 पृष्ठ संख्या–12/टि0 पर दिनांक–22.02.2019 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/
(प्रत्यय अमृत)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र०/नॉ०बि०पा०डि०कं०लि०–07/2019 /पटना, दिनांक––

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र०/नॉ०बि०पा०डि०कं०लि०–7/2019 5547 /पटना, दिनांक–25/02/2019

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0/प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

(11)